रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112026-277588
CG-DL-E-02112026-277588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948
No. 861] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 962(अ).— केंद्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (पांचवा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 24 के उप-नियम (2) में, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) जहां सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017, के तहत समय-समय पर यथा संशोधित वापसी के दावे या किसी अन्य समान योजना के तहत कोई निर्यात का बिल दाखिल किया गया है, वहां इकाई या विकासकर्ता या घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र आपूर्तिकर्ता यथा निर्दिष्ट किसी अधिकारी से इसका दावा करेंगे और यदि इकाई या विकासकर्ता ऐसे लाभ का

दावा करने का इरादा नहीं रखते हैं, तो घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र आपूर्तिकर्ता को ऐसे लाभों का दावा करने के लिए इस आशय का एक अस्वीकरण दिया जाएगा।"

[फा. सं. के-43022/139/2025-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

नोट: – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006, के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2026 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2026

G.S.R. 962(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 24, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"*(2)* Where a Bill of Export has been filed under a claim of drawback or any other similar scheme laid down under the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, as amended from time to time, the Unit or Developer or Domestic Tariff Area supplier shall claim the same from the Specified Officer and in case the Unit or Developer does not intend to claim such benefit, a disclaimer to this effect shall be given to the Domestic Tariff Area supplier for claiming such benefits."

[F. No. K-43022/139/2025-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and was lastly amended *vide* notification G.S.R. 609(E), dated the 15th October, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA